

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक:- 214/2010 नि०फौ०

संस्थित दिनांक 18.10.2010

दिनेश शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा उम्र 42 वर्ष।

निवासी ग्राम पिपरोली तहसील गोहद जिला

भिण्ड म.प्र.।

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

जे.पी. मोटर्स (निगोतिया ग्रुप) द्वारा जगदीश

प्रसाद निगोतिया अधिकृत विक्रेता सोनालिका

ट्रेक्टर सेल्स सर्विस एवं स्पेयर पार्ट्स ग्वालियर

भिण्ड रोड गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अनावेदक/प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्ता द्वारा श्री के०सी०उपाध्याय अधि.।

गैर निगरानीकर्ता द्वारा श्री पी०के०वर्मा अधि.।

//आ दे श//

//आज दिनांक 16-05-2015 को पारित किया गया//

01. पुनिरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनिरीक्षण आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 399 जा०फौ० का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पुनिरीक्षणकर्ता ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 896/06 ई.फौ. दिनेश शर्मा वि० जे.पी.मोटर्स में पारित आदेश दिनांक 17.09.2010 से व्यथित होकर वर्तमान पुनिरीक्षण आवेदनपत्र पेश किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनिरीक्षणकर्ता/परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 244 जा०फौ० का निरस्त किया गया है।

02. वर्तमान पुनिरीक्षण के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकर्ता के द्वारा एक अभियोगपत्र जे०एम०एफ०सी गोहद के न्यायालय आरोपी/गैरपुनिरीक्षणकर्ता के विरुद्ध इस आशय का पेश किया गया है कि उसके द्वारा बिक्रय किए गए टैक्टर की क्षमता बावत् तथ्यों को छिपाकर और इस संबंध में उसके साथ छल एवं कूट रचना की गई है जो कि धारा 420, 468, 120 भा.दं.वि. में पंजीबद्ध होकर आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत है।

निगरानीकर्ता के द्वारा ट्रैक्टर की क्षमता की जाँच के संबंध में सीनियर टेस्ट इंजीनियर बुधनी को साक्ष्य हेतु तलब किए जाने हेतु आवेदनपत्र पेश था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जाकर सीनियर टेस्ट इंजीनियर बुधनी को तलब किए जाने का आदेश दिया गया था। जिस पर से टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एग्रीकल्चर इंजीनियर श्री एच.एल. यादव साक्ष्य हेतु उपस्थिति हुए जिनके द्वारा न्यायासंगत उत्तर भी नहीं दिए गए थे। इसी बीच निगरानीकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 244 जा0फौ0 का आवेदन पेश किया जिसे कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.09.2010 को निरस्त किया गया है। जबकि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु सीनियर टेस्ट इंजीनियर को तलब किया जाना विधि सम्मत है। ऐसी दशा में दिनांक 17.09.10 के आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण पेश की गई है।

03. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.09.10 को आदेश पारित करते हुए सीनियर टेस्ट इंजीनियर को तलब किए जाने के संबंध में निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।

04. निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि न्यायालय के द्वारा सीनियर टेस्ट इंजीनियर को तलब किये जाने का आदेश दिया गया था, किन्तु सीनियर टेस्ट इंजीनियर के बजाए साक्ष्य हेतु एग्रीकल्चर इंजीनियर को भेज दिया गया था जिसको कि ट्रैक्टर की क्षमता के संबंध में जानकारी होना नहीं कहा जा सकता। प्रकरण के निराकरण हेतु सीनियर टेस्ट इंजीनियर जिन्हें कि ट्रैक्टर के हॉर्स पावर के टेस्टिक का ज्ञान है उनके द्वारा ही इस संबंध में उचित साक्ष्य दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत रूप से उसका आवेदनपत्र निरस्त किया गया है। ऐसी दशा में निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

05. प्रतिनिगरानीकर्ता अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी के आवेदनपत्र के आधार पर बुधनी से इंजीनियर को तलब कराया गया था एवं न्यायालय में उपस्थिति होकर परिवादी के द्वारा एग्रीकल्चर इंजीनियर एच.एल.यादव के कथन आरोप पूर्व साक्ष्य के रूप में परिवादी के द्वारा कराए गए हैं जिसमें कि सीनियर इंजीनियर का पत्र भी भेज दिया गया था। सीनियर इंजीनियर के द्वारा भेजा गया पत्र भी संलग्न है था और उन्होंने एच.एल.यादव को अधिकृत किया गया था। ऐसी दशा में जबकि परिवादी के द्वारा स्वयं आरोप पूर्व साक्ष्य के रूप में एच.एल.यादव के कथन कराए जा चुके हैं, सीनियर टेस्टिंग इंजीनियर को तलब कराने का कोई आधार नहीं है। आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.09.2010 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यतता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किए जाने योग्य है?

// निष्कर्ष के आधार //

07. उपरोक्त संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया गया। परिवादी के द्वारा परिवादपत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि जो टैक्टर उसे आरोपी ऐजेंसी के द्वारा बिक्रय किया गया था वह जितनी क्षमता का उसे बताया गया था उतने क्षमता का न होकर कम क्षमता का था और इस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध होकर आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत किया है। निगरानीकर्ता के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत टैक्टर की टैस्ट रिपोर्ट जो कि बुधनी जौ कि टैक्टरों के संबंध में शासकीय मैकेनिकल जॉच होती है से प्राप्त हुई है। उक्त टैस्ट रिपोर्ट के संबंध में टैस्ट इंजीनियर को तलब किये जाने बावत् आवेदनपत्र दिया गया था जो कि न्यायालय ने दिनांक 09.03.10 को स्वीकार करते हुए सीनियर टेस्ट इंजीनियर सेन्ट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट टैक्टर नगर बुधनी जिला सीहोर म0प्र0 को तलब किये जाने का आदेश दिया है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश होने के उपरांत सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर की ओर से एच.एल. यादव एग्रीकल्चर इंजीनियर को अधिकृत करते हुए साक्ष्य हेतु भेजा गया है। निगरानीकर्ता के द्वारा यह आधार लिया गया है कि उसके द्वारा सीनियर टैस्ट इंजीनियर को तलब किया गया था जो कि न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए, जबकि सीनियर टैस्ट इंजीनियर के द्वारा ही इस संबंध में सही जानकारी एवं उचित साक्ष्य दी जा सकती है।

08. उपरोक्त संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एच.एल. यादव के कथन न्यायालय में उपस्थिति होने पर परिवादी की ओर से आरोप पूर्व साक्ष्य के रूप में कराए गए हैं, किन्तु परिवादी के द्वारा मुख्य रूप से यह व्यक्त किया जा रहा है कि टैक्टर के संबंध में सही जानकारी सीनियर टेस्ट इंजीनियर के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है और वही इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकता है।

09. उपरोक्त संबंध में विचार उपरांत जबकि टैक्टर की क्षमता की सही जानकारी के बारे में तथ्य जिस पर कि पूरा प्रकरण निर्भर होना बताया जा रहा है उसके टैस्ट रिपोर्ट जो कि विशेषज्ञ के द्वारा ही दी जा सकती है एवं विशेषज्ञ ही उसे प्रमाणित कर सकता है। इस संबंध में टैक्टर की सही क्षमता एवं रिपोर्ट को प्रमाणित करने हेतु सीनियर टैस्ट इंजीनियर को तलब किये जाने के संबंध में जो आदेश न्यायालय के द्वारा पूर्व में दिनांक 09.03.2010 को आदेशित किया गया था उसके अनुरूप सीनियर टैस्ट इंजीनियर को साक्ष्य हेतु

तलब किया जाना प्रकरण के न्यायोचित निराकरण हेतु विधि संगत होगा।

10. तदनुसार इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2010 जिसमें कि सीनियर टेस्ट इंजीनियर को तलब करने से इंकार किया गया है को अपास्त करते हुए, यह आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय परिवादी के द्वारा विधिबत तलवाना एवं सही-सही विवरण पेश करने पर सीनियर टेस्ट इंजीनियर को साक्ष्य हेतु तलब करने बावत् एक अवसर प्रदान करें। प्रकरण जो कि काफी लम्बे समय से लंबित है, ऐसी दशा में परिवादी उक्त साक्षी को तलब करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना किसी बिलम्ब के कार्यवाही करेगा और यदि उसके द्वारा इस संबंध में कोई बिलम्ब किया जाता है तो उसका अवसर समाप्त माना जाएगा।

11. तदनुसार निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत वर्तमान निगरानी का निराकरण किया जाता है।

12. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड